भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1944
(01 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आधार आधारित भुगतान प्रणाली के अंतर्गत मजदूरी का विपथन

1944. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कामगारों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनके आधार नंबर को आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) से जोड़ा गया है;
(ख) उन कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें उनके आधार नंबर एबीपीएस से न जोड़े जाने के कारण उनकी मजदूरी नहीं मिल पाई है:
(ग) वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत सक्रिय कार्यबल का ब्यौरा क्या है और एबीपीएस के अंतर्गत मजदूरी प्राप्त करने के पात्र कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि एबीपीएस के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कामगारों की मजदूरी के अन्यत्र उपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): नरेगासॉफ्ट के अनुसार, दिनांक 28.07.2023 की स्थिति के अनुसान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत 11.38 करोड़ कामगारों के आधार नंबर को आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के साथ जोड़ा गया है।

(ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थियों को खाता आधारित और आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। यदि कोई लाभार्थी आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम नहीं है , तो भुगतान करने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एबीपीएस के अंतर्गत अपनी मजदूरी प्राप्त करने के पात्र कामगारों और सक्रिय कामगारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ड़): एबीपीएस भुगतान संबंधी निर्देशों के पालन के लिए एक मार्ग है और अंत में भुगतान बैंक खाते में जमा किया जाता है। भुगतान लाभार्थी द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते में जमा किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या1944 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एबीपीएस के अंतर्गत अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए पात्र कामगारों और सक्रिय कामगारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सक्रिय कामगारों की संख्या (लाख में)	एबीपीएस के तहत अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए पात्र कामगारों की संख्या (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	96.78	92.16
2	अरुणाचल प्रदेश	3.28	1.53
3	असम	62.98	13.31
4	बिहार	93.46	62.26
5	छत्तीसगढ़	72.58	52.77
6	गोवा	0.08	0.06
7	गुजरात	32.32	14.06
8	हरियाणा	9.48	7.33
9	हिमाचल प्रदेश	14.43	11.52
10	जम्मू और कश्मीर	17.00	9.44
11	झारखंड	45.28	31.76
12	कर्नाटक	87.23	67.64
13	केरल	27.10	22.88
14	लद्दाख	0.42	0.34
15	मध्य प्रदेश	119.93	67.19
16	महाराष्ट्र	66.69	44.66
17	मणिपुर	7.03	3.93
18	मेघालय	9.10	0.28
19	मिजोरम	2.15	1.58
20	नागालैंड	5.60	1.10
21	ओडिशा	78.29	53.84
22	पंजाब	15.93	12.38
23	राजस्थान	143.67	103.31
24	सिक्किम	0.97	0.73
25	तमिलनाडु	91.47	81.80
26	तेलंगाना	61.05	55.21
27	त्रिपुरा	10.50	8.75
28	उत्तर प्रदेश	157.55	92.00
29	उत्तराखंड	12.49	8.90
30	पश्चिम बंगाल	151.81	120.38
31	अण्डमान और निकोबार	0.15	0.12
32	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	0.0027	0.0015
34	पुदुचेरी	0.68	0.54
	कुल	**1,497.46**	**1,043.76**